



मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टणम - 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam – 530035



(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

email : ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं. 12/2026 (अधीक्षक)**Establishment Order (G.O) No. 12/2026 (SUPERINTENDENTS)****दिनांक 10 जून 2026 Dated 10th June 2026**

प्रधान आयुक्त के कार्यालय (सं.नि.प्रा), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय द्वारा अधीक्षकों के संवर्ग में निरीक्षकों के एडहाक और स्थानस्थ आधार पर पदोन्नती के संदर्भ में जारी स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं. No. 103 /CCA /2026 दिनांक 29.05.2026 और आर जी आई ए, हैदराबाद में प्रतिनियुक्ती से प्रत्यावर्तन के संदर्भ में प्रधान आयुक्त के कार्यालय (सं.नि.प्रा), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय द्वारा जारी स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं. No. 108/CCA/2026 दिनांक 02.06.2026 के परिणामस्वरूप अधीक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आदेशित हैं:-

Consequent upon issue of EO (GO) 103 /CCA /2026 dated 29.05.2026 regarding promotion of Inspectors to the cadre of Superintendent on Ad-hoc / In-Situ basis by the O/o the Principal Commissioner of Central Tax (CCA), Hyderabad GST Commissionerate and Establishment Order (G.O.) No. 108 /CCA /2026 dated 02.06.2026 by the O/o the Principal Commissioner of Central Tax (CCA), Hyderabad GST Commissionerate regarding repatriations from RGIA Hyderabad the following postings and transfers in the cadre of Superintendents of Central Tax are hereby ordered with immediate effect and until further orders:-

सं क्र Sl No.	अधिकारी का नाम (श्री) Name of the Officer (Sri)	वर्तमान तैनाती स्थान Present Place of Posting	तैनात किया गया स्थान Posted to
1.	नक्का प्रमोद Nakka Pramod	आवंटन पर On allotment	गुंटूर सीजीएसटी Guntur CGST
2.	सी एच सतीश सिंह Ch Satish Singh	आर जी आई ए, हैदराबाद में प्रतिनियुक्ती से प्रत्यावर्तन पर On repatriation from Deputation at RGIA Hyderabad.	विशाखपट्टणम सीजीएसटी (काकिनाडा में तैनाती के लिए) Visakhapatnam CGST (for station at Kakinada)

2. सं क्र 1 पर उल्लेखित अधिकारी के संदर्भ में प्रधान आयुक्त के कार्यालय (सं.नि.प्रा), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय द्वारा जारी स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं. No. 103 /CCA /2026 दिनांक 29.05.2026 में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

W.r.t officer at Sl No. 1 above, all terms & conditions mentioned in EO (GO) 103 /CCA /2026 dated 29.05.2026 issued by the O/o the Principal Commissioner of Central Tax (CCA), Hyderabad GST Commissionerate remain unaltered.

3. दिनांक 10.06.2026 के पूर्वाह्न में मु.आ.का. (वि.क्षे.) मे रिपोर्ट करने वाले सं क्र 2 के अधिकारी श्री सी एच सतीश सिंह को 10.06.2026 की अपराह्न में कार्यमुक्त कर दिया जाता है ताकि वे अपने नए पदस्थापित स्थान पर रिपोर्ट कर सकें।

Officer at Sl No. 2 Sri Ch Satish Singh, Superintendent who has reported to CCO (VZ) in the forenoon of 10.06.2026 is relieved in the afternoon of 10.06.2026 to enable him join his new place of posting.

4. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए । Necessary entries may be made in relevant records.
5. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.
6. यह प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Principal Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.



(गोसु रमेश / Gosu Ramesh)

उप आयुक्त / Deputy Commissioner

[Issued from file GCCO/II/(3)/10/2026-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM-Part(1)]
सेवा में To

संबंधित अधिकारियों को ।

The officers concerned.

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखपट्टणम सीजीएसटी / गुंटूर सीजीएसटी / हैदराबाद जीएसटी (संनिप्रा) आयुक्तालय।
2. प्रधान अपर महानिदेशक, डी जी जी आई, विशाखपट्टणम जोनल इकाई।
3. मु.ले. अधिकारी / आ सं अधिकारी विशाखपट्टणम सीजीएसटी / गुंटूर सीजीएसटी आयुक्तालय।
4. वेतन एवं ले. अधिकारी, विशाखपट्टणम / गुंटूर ।
5. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:-

1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST /Guntur CGST/ Hyderabad GST (CCA) Commissionerate.
2. The Pr. ADG, DGGI VZU.
3. CAO / DDO Visakhapatnam CGST / Guntur CGST Commissionerate
4. PAO of Visakhapatnam / Guntur.
5. Notice Board/website/Stock file.